(राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– ..../2017 अनवान रामस्वरूप्र बनाम स्टेट)

राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार अभियान 2017 कैम्प ग्राम पंचायत साधूवाली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहूजा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या ...207/2017

1. रामस्वरूप पुत्र रामलाल जाति बिश्नोई साकिन 2 डी छोटी तहसील श्रीगंगानगर।

– – प्रार्थी

–:: बनाम ::–

1. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार गंगानगर।

– – **अप्रार्थीगण**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत रास्ता

– :: निर्णय ::–

दिनांक :– 09.06.2017

राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वारा अभियान 2017 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत साधूवाली मे आयोजित शिविर के अन्तर्गत प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 2 डी. छोटी के खाता संख्या 64 मुरब्बा नम्बर 37 किला नम्बर 17/1 में 0.013, 18/.007, 22/2 में 0.007, 23/2 में 0.020 हैक्टर कुल 0.047 हैक्टर गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत शुद्धा है। खाता संख्या 12 मुरब्बा नम्बर 37 के किला नम्बर 16/2 में 0.013 हैक्टर रास्ता मन्जूर शुद्धा है। उक्त रास्ते की चौड़ाई बढ़ानें हेतु मुरब्बा नम्बर 37 के किला नम्बर 16/2 में पहले से मन्जूर शुद्धा रास्ते के उत्तरी दिशा में 16/1 में 2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियान के दौरान तहसीलदार श्रीगंगानगर से रिपोर्ट प्राप्त की गई प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार चक 2 डी छोटी के खाता संख्या 64 मुरब्बा नम्बर 37 में किला नम्बर 16/1 का 0.240 हैक्टर रकबा रामस्वरूप पुत्र रामलाल बिश्नोई साकिन देह खातेदार दर्ज है।

प्रार्थी अपनी सहमती से रास्ता की चौड़ाई बढ़ानें हेतु अपनी खातेदारी भूमि चक 2 डी के मुरब्बा नम्बर 37 किला नम्बर 16/1 में 0.025 हैक्टर रकबा पूर्व में स्वीकृत शुद्धा रास्ता के चिपता हुआ स्वीकृत करवाना चाहता है। किसी न्यायालय का स्थगन नहीं है।

प्रार्थी को सुना गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि में रास्ते की चौड़ाई बढ़ाये जानें हेतु निवेदन किया है, जो स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया गया है।

– :: आदेश ::–

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत चक 2 डी. छोटी के खाता संख्या 64 मुरब्बा नम्बर 37 किला नम्बर 16 में स्वीकृत गैर मुमकिन के चिपता हुआ मुरब्बा नम्बर 37 के किला नम्बर 16/1 में 0.025 हैक्टर रकबा में प्रार्थी की खातेदारी को कम करते हुए रास्ता स्वीकृत किया जाता है। गैर मुमकिन रास्ता सार्वजनिक उपयोग हेतु रहेगा।

तहसीलदार श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अंकन करना सुनिश्चित करें।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालना हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय सुनाए होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिनांक 09.06.2017 को लिखवाया जाकर राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार अभियान 2017 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत साधूवाली के मजमे आम में सुनाया गया।

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी एवम्